FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year**: 2015 **FIR No**: 33 Date: 26-8-2015

2. **Act(s)**: **Section(s)**
   (i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 — 7,13,49/88
   (ii) IPC — 384
   (iii)
   (iv)

3. **Occurrence of Offence:**
(a) **Day**: Wednesday **Date From**: 26-8-2015 **Date To:** 26-8-2015
Time Period: **Time From:** **Time To**:
(b) **Information received at P.S:** **Date:** : 26.08.2015 **Time**: 13-10
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 8 **Time:** 13-10

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence:**
(a) Direction and Distance from P.S West /90 Km **Beat No**.: 03
(b) Address: Area Of Distt. Sirsa
(c) In case, Outside the limit of the Police Station:
Name of P.S: SVB (H) Hisar **District: Hisar**

6. **Complainant/Informant**:
Name: Inspr Jagjeet Singh SVB Unit SRS
(a)
(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN
(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**
(d) **Occupation:**
(e) **Address:**
(f) **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

7. ASI Ramniwas PP Kherpur City Sirsa

8. **Total value of property stolen:**
9.
10. **Total value of property stolen:**
11. **Inquest Report/U.D Case No., if any**
12.
F.I.R Contents (attach separate sheet, if

श्रीमान जी, जांच क्रमांक न० 09दिनांक03.6.15 सिरसा मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक न० 71/52/2015-4चौ(1) दिनांक 03.6.2015 की अनुपालना मे दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृ० क्रमांक न० 7873/आई-3/एस.वी.बी. हरियाणा दिनांक 10.6. 2015 के अनुसार व सी.आर.एम. नम्बर एम-33548 आफँ 2014सुरजीत सिहं बनाम हरियाणा सरकार बगैरा मे माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवम् हरियाणा चण्डीगढ के निर्देशानुसार सुरजीत

सिहं पुत्र श्री मक्खन सिहं गावं महमडा तहसील रतिया जिला फतेहबाद की शिकायत के आधार पर दर्ज रजिस्टर होकर श्री मान पुलिस अधीक्षक रा.चौ.ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार मे प्राप्त हुई थी जिसमे निम्नलिखित आरोप था कि सुरजीत सिहं पुत्र श्री मक्खन सिहं गावं महमडा तहसील रतिया जिला फतेहबाद ने अपनी लडकी रविन्द्र कौर के लापता होने पर थाना शहर सिरसा मे मुकदमा न० 94/2014 दर्ज करवाया था जिसमे तफतीश अधिकारी ए.एस.आई. रामनिवास इन्चार्ज चौकी खैरपुर द्वारा सुरजीत सिहं को उसकी लडकी से मिलवाने व टेलिफोन पर बात करवाने की एवज पर बात करवाने की एवज मे 50 हजार रु० रिश्वत की मांग की तथा दिनांक 27.02.2014 यह राशि प्राप्त की । लेकिन रिश्वत लेने के बाद भी सुरजीत सिह को उसकी लडकी से ना मिलवाया और ना ही टेलिफोन पर बात करवाई जब सुरजीत सिहं द्वारा उच्च अधिकारियो से शिकायत करने की बात की तो दिनांक 11.3.2014 को उसकी बेटी के टेलिफोन न० 9466913491 से समय 4.15 सायं बात करवा दी और सुरजीत सिहं द्वारा दिये गये टेलिफोन नम्बरो की काल डिटेल व लोकेशन भी न निकलवा कर सुरजीत सिहं को अन्धेरे मे रख कर परेशान किया है ।जो उपरोक्त आरोप की जांच पडताल निरीक्षक जगजीत सिहं रा.चौ.ब्यूरो उप केन्द्र सिरसा द्वारा पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो(ह) हिसार मण्डल हिसार की सीधी देख रेख मे की गई है । जो जांच पडताल से पाया गया कि शिकायतकर्ता सुरजीत सिहं द्वारा अपनी लडकी रविन्द्र कौर के लापता होने पर मुकदमा न० 94 दिनांक 28.01.2014 जेर धारा 346 आई.पी.सी. थाना शहर सिरसा दर्ज करवाया था जिसकी तफतीश ए.एस.आई. राम निवास 234/ सिरसा इन्चार्ज चौकी खैर पुर सिरसा द्वारा की गई । मुकदमा दर्ज होने के 7/8दिन बाद शिकायतकर्ता सुरजीत सिहं को अपनी लडकी रविन्द्र कौर द्वारा अपनी मर्जी से विक्की नाम के लडके से सनातम धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट हिसार मे शादी होने का पता चल गया था लेकिन लडकी रविन्द्र कौर न मिलने और ना ही बात होने के कारण शिकायतकर्ता सुरजीत सिहं को अपनी लडकी के साथ अनहोनी घटना की आशंका होने के कारण ए.एस.आई. राम निवास से अपने रिश्तेदारो के बार बार मिलकर लडकी से मिलवाने और बात करवाने का आग्रह करता रहा। जिस पर ए.एस.आई. रामनिवस ने दिनांक 25.02.14 को शिकायतकर्ता सुरजीत सिहं उसके रिश्तेदार हरदीप सिहं उर्फ पोली के सामने लडकी से मिलवाने के बदले 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की जिस पर हरदीप सिहं उर्फ पोली ने मामला 50 हजार मे तय करवा दिया और दिनांक 26.02.14 को शिकायत कर्ता सुरजीत सिहं ने अपने गावं महमडा से अपने पिता मक्खन सिहं चाचा जोगेन्द्र सिहं व बहनोई गुरमेज सिह 20/20 हजार रुपये लेकर दिनांक 27.02.14 को 50 हजार रुपये हरदीप सिहं उर्फ पोली के साथ जाकर हिसार रोड सिरसा मे सब्जी वाली रेहडी के सामने काले लिफाफे मे डालकर ए.एस.आई. राम निवास को दिये जिसकी तसदीक सम्बन्धित व्यक्तियो के ब्यानो व उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से होती है और ए.एस.आई रामनिवास ने शिकायतकर्ता सुरजीत सिहं को उसकी लडकी रविन्द्र कौर द्वारा उनके विरुद्द मुकदमा दर्ज करवाने का भय दिखाकर मुकदमा नः94 दिनांक 28.01.2014 जेर धारा 346 थाना शहर सिरसा उपरोक्त रद्द करवाने बारे उसका उसकी लडकी पत्नी व उसके लडके के शपथ पत्र लिये है । उपरोक्त कथनो व तथ्यो के आधार पर ए.एस.आई रामनिवास 234/सिरसा इन्चार्ज चौकी खैरपुर थाना शहर सिरसा हाल पुलिस

लाईन सिरसा द्वारा 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग करके प्राप्त की है और शिकायतकर्ता सुरजीत सिहं को मुकदमा दर्ज करने का भय दिखा कर उनसे शपथ पत्र प्राप्त करके अपराध ए.एस.आई. राम निवास उपरोक्त ने अपराध धारा 7,13,49,88 पी.सी.एक्ट व 384 आई.पी.सी. का किया है निरीक्षक जगजीत सिहं रा.चौ.ब्युरो उपकेन्द्र सिरसा की जांच रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्युरो हिसार ने पत्र क्रमांक 1997/राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार दिनांक 29.06.2015 से महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकुला को धारा 7,13,49,88 पी.सी.एक्ट व 384 आई.पी.सी. तहत आपराधिक अभियोग दर्ज करने की सिफारिश भेजी दी थी जिस पर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकुला ने पत्र क्रमांक 9252/ राज्य चौकसी ब्युरो /हरियाणा पंचकुला दिनांक 02.07.2015 से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ को आवशयक कार्यवाही हेतु भेज दी थी जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग ने अपने पत्र क्रमांक न०71/52/2015-5चौ० (1) दिनांक 27.07.2015 से महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकुला को सम्बन्धित धारओ के अन्तर्गत आरोपी ए.एस.आई. रामनिवास न०234/सिरसा के विरुध अभियोग दर्ज रजिस्टर करवाने के लिये भेजा था जिस महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला ने अपने पत्र क्रमांक न० 10923/I-3 /SVB(H) Panchkula दिनांक 29.07.2015 से पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार को मुकदमा दर्ज रजिस्ट्र करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतिया भिजवाने बारे निर्देश दिया जिस पर ए.एस.आई. रामनिवास न.234/सिरसा पुलिस लाईन सिरसा के विरुध जेर धारा 7,13,49,88 पी.सी.एक्ट व 384 आई.पी.सी. का जुर्म सरजद होना पाया जाने पर अभियोग अकिंत बा जुर्म मजकुर दर्ज रजि० करके मिशल म० हजा मय आमदा रिकार्ड (कुल चार फाईले जांच क्रमांक9/15 सिरसा)बराये तफतीश हवाले श्री आत्माराम उप पुलिस अधीक्षक रा.चौ.ब्यूरो हिसार की गई है। मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट बदस्त सि० प्रमोद कुमार 590/ भिवानी के ईलाका मैजिस्ट्रैट सिरसा वा पुलिस अधीक्षक सिरसा भेजी जा रही है । sd Anil Kumar प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) हिसार मण्डल हिसार दिनांक 26.08.15

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation **OR**
(ii) Directed (Name of the I.O.): Sh Atama Ram
Rank: DSP
DSP SVB HSR **to take up the investigation, OR**
(iii) Refused investigation due to:
OR
(iv) Transferred to P.S.(name):
On point of jurisdiction: **District:**

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.
Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name Anil Kumar
Rank Inspr . No H/161